न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.

प्रकरण सख्या 02/2019 प्रा.पत्र
दायर दिनांक 08.01.2019
निर्णय दिनांक 28.02.2020

अनवान

1. सोहनदास पिता दौलतदास जाति वैरागी निवासी भराई तहसील रेलमगरा
2. सत्यनारायण पिता लेहरूदास जाति वैरागी निवासी भराई तहसील रेलमगरा
3. संतोषी बाई पिता लेहरूदास जाति वैरागी निवासी भराई तहसील रेलमगरा
4. मुरलीदास पिता मोहनदास जाति वैरागी निवासी भराई तहसील रेलमगरा
5. कैलाशदास पिता मोहनदास जाति वैरागी निवासी भराई तहसील रेलमगरा
6. सोसर बाई पिता मोहनदास जाति वैरागी निवासी भराई तहसील रेलमगरा
7. बंशीदास पिता हरूदास जाति वैरागी निवासी भराई तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हरिसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी भराई तहसील रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता_प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम भराई तहसील रेलमगरा, में प्रार्थीगण के स्वामित्व एव आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 509 रकबा 01–02 बीघा स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी संख्या 509 के पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 533 रकबा 03–10 बीघा भूमि स्थित होकर उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में सटमा सरकारी रास्ता स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त सरकारी रास्तेकी आराजी संख्या 544 होकर बिलानाम गैर काबिल रास्ता रकबा 04–19 बीघा स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 509 में आने जाने, हल,

बेलगाडी ,टेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु उक्त आम सरकारी रास्ते से विपक्षीगण की आराजी संख्या 533 की दक्षिणी पाली के सहारे सहारे अपनी आराजी संख्या 509 में प्रवेश करने हेतु उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता है। तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कर हल बेल, बेलगाडी, टेक्टर आदि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाते है जो अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त कदीमि रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर निर्वघ्न रूप में साधिकारपूर्वक करता चले आ रह है। लेकिन उक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने से एवं रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही होने के कारण विपक्षीगण प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने जाने के लिए रोकते है व परेशान करते है। आराजी संख्या 533 वर्तमान में विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने एंव कब्जे में होने से विपक्षीगण जबरन अपने भूजबल के आधार पर प्रार्थीगण की उक्त कदीमि रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यवधान बाधा रूकावट कारित करते है तथा प्रार्थीगण को जबरन अपनी आराजी संख्या 500 के उपयोग उपभोग में कृषि कार्य करने में रास्ते में आने जाने हेतु रूकावट बाधा कारित करते है तथा उक्त कदिमी रास्ते को बंद कर देते है तथा कहते है कि उक्त आराजीयात हमारे नाम पर है जिस कारण हम आपको उक्त रास्ते से नहीं आने जाने देंगे। जबकि प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी संख्या 509 में आने जाने हेतु उक्त कदीमि रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक एंव रेकार्डेड रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है। तथा उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को सख्त आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में आने जाने हेतु उक्त रास्ता अपने निवास स्थान से निकटतम है एंव अन्य कोई वैकल्पिक अथवा रेकार्डेड रास्ता प्रार्थीगण के लिए अपनी आराजी में आने जाने हेतु नही है। जिस कारण प्रार्थीगण को मजबुर होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थीगण को अपने आराजी सख्या 509 में आने जाने हल बेलगाडी टेक्टर लाने लेजाने हेतु भूमि में काश्त करने इत्यादि हेतु आराजी संख्या 533 कि पश्चिम दिशा में स्थित सरकारी रास्तें से होते हुए विपक्षी की आराजी सख्या 533 की दक्षिणी पाली पर 13 फिट चौडा एवं सम्पुर्ण लम्बाई प्रार्थीगण कि आराजी संख्या 509 के प्रारम्भ तक के रास्ते के सख्त आवश्यकता है जिससे निर्मित प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थीगण को उक्त रास्ते कि आवश्यकता अत्यन्त है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खेत के उपयोग उपभोग से वचित हो रहे है न्यायालय द्वारा रास्ते 13 फिट चौडा एवं सम्पुर्ण लम्बाई के रास्ते की भूमि जो रास्ते के उपयोग में आयेगी उक्त भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जावेगा उसको प्रार्थीगण तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है एंव प्रार्थीगण विपक्षीगण को रास्ते के बदले में अपने आराजीयात से जमीन भी देने को तैयार है उक्त कदीमी रास्ते को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णीत किया गया है उसे राजस्व रिकार्ड एवं नक्शाट्रेस में रास्ते के रूप में ईन्द्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है जिस निर्मित प्रार्थीगण कि ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश है विपक्षी सख्या 06 प्रार्थी के रूप में शामिल सरिक नहीं होने से उसे विपक्षी बनाया गया है अन्यथा विपक्षी

संख्या 06 के विरूग कोई वाद नहीं चाही गई है। प्रार्थीगण को अपने आराजी सख्या 509 में हल बैलगाडी ट्रेक्टर लाने लेजाने के लिए आराजी सख्या 533 की दक्षिणि पाली पर 13 फिट चौडा एवं सम्पुर्ण लम्बाई में आराजी सख्या 509 के प्रारम्भ तक रास्ता विपक्षीगण से दिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। उक्त रास्ते कि एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता है वो प्रार्थीगण आदा करने को तैयार है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर आदा करने के पश्चात उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावें विकल्पीक अनुतोस प्रार्थीगण रास्ते कि जमीन के बदले जमीन भी देने को तैयार है।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षीगण की ओर बावजुद सुचना तामिल अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये गये तहसीलदार रेलमगरा से मौका रिपोर्ट ली गई प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आबश्यक है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251–ए का स्वीकार किया जाकर ग्राम भराई के प्रार्थी की आराजी सख्या 509 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी सख्या 533 की दक्षिणी पाली पर 13 फिट चौडा एवं सम्पुर्ण लम्बाई 99 फिट भुमि (तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते) को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है एक पेड है जिसकी अनुमानित लागत 300 रूपया है। प्रार्थी से उक्त पेड एव रकबे की वर्तमान पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर विपक्षीगण को उनके हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)